न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या-40/2023

राज्य

बनाम्

रीना देवी वगैरह

—: आदेश :—

17/05/23

वर्तमान वाद की प्रक्रिया जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार के पत्रांक 298/एम0 दिनांक 14.03.2023 से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर प्रारम्भ किया गया।

राज्य सरकार की ओर से जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज एवं अभिलेख का अवलोकन किया। यह वाद बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–22/2023 दिनांक–26.01.2023 से संबंधित है।

राज्य की ओर से जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि सहायक अवर निरीक्षक, मोख्तार अंसारी, बालूमाथ थाना प्रतिनियुक्त अमरवाडीह पुलिस पिकेट के टंकित आवेदन के आधार पर बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–22/2023 दिनांक–26.01.2023 दर्ज किया गया। सहायक अवर निरीक्षक, मोख्तार अंसारी, बालूमाथ थाना प्रतिनियुक्त अमरवाडीह पुलिस पिकेट ने दिनांक 26.01.2023 को वरीय पदाधिकारी को समय करीब 03:30 बजे मिले गुप्त सूचना के आधार पर सूचना का सत्यापन व आवश्यक कार्रवाई हेतु सशस्त्र बल के साथ अमरवाडीह पिकेट से प्रस्थान किया तथा समय करीब 04:30 बजे जर्री मोड़ के पास पहुंचने पर वहां कोयला लदा तीन हाईवा पाया गया। हाईवा रजि0 नं0–JH04T-2862 का चालक निरज कुमार महतो, पिता– अशोक महतो ग्राम–एदला, थाना–सिमरिया, जिला–चतरा से कोयला संबंधित कागजात मांगने पर चालक द्वारा बताया गया कि कागजात वाहन मालिक के पास है। अन्य दो हाईवा वाहन रजि0 नं0–JH01DV-1268 एवं JH04R-6852 में कोई चालक नहीं पाया गया। सभी हाईवा को अमरवाडीह पुलिस पिकेट लाकर बारी–बारी से निरीक्षण करने पर पाया गया कि 1. चौदह

98

चक्का हाईवा रजि0 नं0–JH04T-2862 चेसीस नं0–MAT541102KF16073 जिसपर करीब 22 टन कोयला लदा हुआ 2. बारह चक्का हाईवा रजि0 नं0–JH01DV-1268 चेसीस नं0–MAT466 458K3P26949 जिसपर करीब 20 टन कोयला लदा हुआ एवं 3. बारह चक्का हाईवा रजि0 नं0–JH04R-6852 चेसीस नं0–MB1JADHB5KPJG651 जिसपर करीब 20 टन कोयला लदा हुआ पाया गया। उक्त तीनों हाईवा के केबिन में कोयला से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं पाया गया। हाईवा रजि0 नं0–JH04T-2862 के चालक निरज कुमार महतो से गहनतापूर्वक पुछ–ताछ करने पर चालक द्वारा बताया गया कि तीनों हाईवा पर लोड कोयला अवैध है, जिसे मगध कोलयरी से लोड कर ले जा रहे थें। अनुसंधान के क्रम में जिला परिवहन कार्यालय, लातेहार से काण्ड में जप्त उक्त तीनों हाईवा का सत्यापन कराने पर पाया गया कि 1. चौदह चक्का हाईवा रजि0 नं0–JH04T-2862 चेसीस नं0–MAT541102KF16073 के मालिक का नाम–रीना देवी, पति–नरेश यादव, ग्राम–सरैया, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सरैया वार्ड नं0–03, जमुई (बिहार) 811308 2. बारह चक्का हाईवा रजि0 नं0–JH01DV-1268 चेसीस नं0–MAT466 458K3P26949 के मालिक का नाम सुशांत घोष पे0–विश्वनाथ घोष, पता–नियर पोपुलर नर्सिंग होम, 495 आर्यापुरी, जी0पी0ओ0 सुखदेव नगर, रांची–834001 एवं 3. बारह चक्का हाईवा रजि0 नं0–JH04R-6852 चेसीस नं0–MB1JADHD5KPJG6514 के मालिक का नाम रीना देवी पति–नरेश यादव, पता ग्राम–सरैया, झाझा, जमुई, जिला–जमुई (बिहार) 811305 है। जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार के द्वारा बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–22/2023 दिनांक 26.01.2023 में कोयला खनिज के अवैध उत्खनन/परिवहन संबंधी मामले में जप्त उपरोक्त तीनों हाईवा एवं उसमें लदे कोयला खनिज को राजसात एवं निष्पादन की कार्रवाई हेतु "The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 11 के अन्तर्गत प्रस्ताव समर्पित किया गया है।

उपरोक्त वाद में विपक्षीगण को नोटिस निर्गत कर उन्हें तामिला कराया गया।

विपक्षी रीना देवी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यह

मामला जप्त हाईवा रजि0 नं0–JH04T-2862 एवं JH04R-6852 के विरूद्ध बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–22/2023 धारा 379, 414 भा0द0वि0, एम0एम0डी0आर0 के कोयला खान अधिनियम 21 एवं झारखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण और परिवहन की रोकथाम) नियम 2017 के नियम 13 के तहत् दर्ज किया गया है। एम0एम0डी0आर0 की धारा–21 की उप धारा–4(ए) अपराध का संज्ञान लेने के लिए सक्षम न्यायालय ही जप्ती का आदेश दे सकता है, जो कि वर्तमान मामले में सक्षम सी0जे0एम0, लातेहार हैं। कोयला से लदे तीन वाहनों को जप्त कर लिया गया और एक वाहन के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया, जो अन्दर बैठा था, जबकि अन्य दो वाहन में कोई चालक नहीं था। हालांकि जांच के दौरान यह बात सामने आया कि जप्त किये गये वाहन रजि0 नं0– नं0–JH04T-2862 एवं JH04R-6852 के पंजीकृत मालिक रीना देवी हैं और तीसरे वाहन का मालिक सुशांत घोष है। विपक्षी एक सरल गृहणी है, जो केवल दैनिक घरेलू काम करती हैं। विपक्षी का मगध कोलयरी के प्रबंधन या किसी अन्य सह आरोपी व्यक्ति के साथ मेल–जोल का कोई सबुत है। काण्ड में पकड़े गये चालक निरज कुमार महतो ने भी विपक्षी के विरूद्ध कुछ नहीं बोला है। विपक्षी को अवैध कोयला परिवहन के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। अतः दोनों वाहन को मुक्त किया जाय।

विपक्षी सुशांत घोष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि जप्त हाईवा रजि0 नं0–JH01DV-1268 के पंजीकृत मालिक सुशांत घोष पिता–विश्वनाथ घोष, पता–नियर पोपुलर नर्सिंग होम, 495 आर्यापुरी, जी0पी0ओ0 सुखदेव नगर, रांची हैं। इस काण्ड में विपक्षी का कोई भूमिका नहीं है। विपक्षी का यह पहला गलती है, इनपर कोई अपराधिक मामला नहीं है। विपक्षी न्यायालय के सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं। विपक्षी का वाहन व्यवसायिक है तथा प्राईवेट लि0 कम्पनी से वित्त पोषित है। विपक्षी के पास वाहन से संबंधित सभी वैध कागजात है। अतः वाहन को मुक्त किया जाय।

"The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 11(V) में उल्लेखित है कि "Any minerals, tool, equipment, vehicle or anything seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court." एवं नियम 9 (i) में उल्लेखित है कि No person shall transport or otherwise remove or carry away any

mineral from any place without obtaining a transport challan duly generated through JIMMS.

बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–22/2023 दिनांक 26.01.2023 में जप्त 1. चौदह चक्का हाईवा रजि0 नं0–JH04T-2862 2. बारह चक्का हाईवा रजि0 नं0–JH01DV-1268 एवं 3. बारह चक्का हाईवा रजि0 नं0–JH04R-6852 पर लदे कोयला से संबंधित कोई भी वैध कागजात विपक्षीगण के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपरोक्त तथ्यों के समीक्षोपरांत यह स्पष्ट होता है कि 1. हाईवा रजि0 नं0–JH04T-2862 2. हाईवा रजि0 नं0–JH01DV-1268 एवं 3. हाईवा रजि0 नं0–JH04R-6852 के द्वारा अवैध कोयला का परिवहन किया गया है। अतः 1. हाईवा रजि0 नं0–JH04T-2862 2. हाईवा रजि0 नं0–JH01DV-1268 एवं 3. हाईवा रजि0 नं0–JH04R-6852 एवं उनपर लदे कुल–62 टन कोयला को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार 08 सप्ताह के अन्दर नियमानुसार वाहन एवं उसपर लदे कोयला की निलामी कर प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार राजसात वाहनों के निलामी की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग करेंगे।

आदेश की प्रति थाना प्रभारी, बालूमाथ थाना, जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार, जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार, लोक अभियोजक, लातेहार, पुलिस अधीक्षक, लातेहार, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, व्यवहार न्यायालय, लातेहार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार को भेजें।

अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
लातेहार।

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2023.06.10 16:54:16 +05:30
Location: 10.93.47.5